वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्याः 71 /XVII(2)/2008-09(59)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

महिला सश0 बाल वि0 एवं सै0 कल्याण अनुभाग देहरादूनःदिनांक 17 मार्च 2008

विषयः उत्तराखण्ड पुलिस एवं आर्म्स फोर्सेज सहायता संस्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्याः-2035/सै.क.-2/बजट/उ.पु.आ.फो./2007-08/23 दिनांक 18 फरवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत "उत्तराखण्ड पुलिस एवं आर्म्स फार्सेज सहायता संस्थान" हेतु रुपये 10.00 लाख (रुपये दस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. संस्थान को धनराशि निर्गत किये जाने से पूर्व निदेशालय, सैनिक कल्याण द्वारा वित्तीय नियमों/हस्तपुस्तिका में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण की जायेंगी।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नही किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

5. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1044/XXVII(1)/2007 दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 एवं 599/XXVII(1)/2007 दिनांक 12 जुलाई, 2007 मे उल्लिखित अन्य शर्तो एवं दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
9. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-सैनिक कल्याण-0314-उत्तराखण्ड पुलिस एवं आर्म्स फार्सेज सहायता संस्थान के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः 1109 (P) /XXVII(3)/2008, दिनांक 14 मार्च, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 71 (1)/XVII(2)/2008-09(59)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि । निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, उ0प्र0 एवं आर्म्स फार्सेज सहायता संस्थान, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।